मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०२५

मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, २०२५

विषय-सूची.

खण्ड :

भाग-एक
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

भाग-दो
ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का सं. ३७ का संशोधन.

३. धारा १ का संशोधन.

भाग-तीन
कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का सं. ६३ का संशोधन.

५. धारा २ का संशोधन.

६. धारा ८५ का संशोधन.

भाग-चार
औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

७. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४७ का सं. १४ का संशोधन.

८. धारा २२ का संशोधन.

भाग-पांच
प्रकीर्ण उपबंध

९. नियम बनाने की शक्ति.

१०. कठिनाइयों का दूर किया जाना.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०२५

मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में-

(एक) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७)

(दो) कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३)

(तीन) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४)

को और संशोधित करने और प्रकीर्ण उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग-दो

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का सं. ३७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा १ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम में, धारा १ की उपधारा (४) में,-

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "बीस या उससे अधिक कर्मकार" के स्थान पर, शब्द "पचास या उससे अधिक कर्मकार" स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "बीस या उससे अधिक कर्मकार" के स्थान पर, शब्द "पचास या उससे अधिक कर्मकार" स्थापित किए जाएं.

(तीन) परंतुक में, शब्द "बीस से कम कर्मकार" के स्थान पर, शब्द "पचास से कम कर्मकार" स्थापित किए जाएं.

भाग-तीन

कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९४८ का सं. ६३ का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इस भाग में इसके पश्चात्, उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ड) में,-

(एक) उप-खण्ड (एक) में, शब्द ''दस या अधिक कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''बीस या उससे अधिक कर्मकार'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उप-खण्ड (दो) में, शब्द ''बीस या अधिक कर्मकार'' के स्थान पर, शब्द ''चालीस या अधिक कर्मकार'' स्थापित किए जाएं.

धारा ८५ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ८५ में, उपधारा (१) में, खण्ड (एक) में, शब्द ''दस से कम'' के स्थान पर, शब्द ''बीस से कम'' स्थापित किए जाएं और आगे शब्द ''बीस से कम'' के स्थान पर, शब्द ''चालीस से कम'' स्थापित किए जाएं.

भाग-चार

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९४७ का सं. १४ का संशोधन.

७. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २२ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम में, की धारा २२ में,-

(एक) उपधारा (एक) में, शब्द ''लोक उपयोगी सेवा'' के पश्चात्, शब्द ''अथवा किसी औद्योगिक स्थापना'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (दो) में, शब्द ''किसी लोक उपयोगी सेवा'' के पश्चात्, शब्द ''अथवा किसी औद्योगिक स्थापना'' अंत:स्थापित किए जाएं.

भाग-पांच

प्रकीर्ण उपबंध

नियम बनाने की शक्ति.

९. (१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाईयों का दूर किया जाना.

१०.(१) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किए गए साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों.

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने समस्त राज्यों से ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७०, कारखाना अधिनियम, १९४८ एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में आवश्यक संशोधन करने की अपेक्षा की है, ताकि उद्योग समस्त राज्यों में सुचारू रूप से चलाए जाए सकें.

२. वर्तमान में, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) की धारा १ की उप-धारा (४) का खण्ड (क) २० या अधिक ठेका श्रमिकों को अपनी स्थापनाओं में नियोजित करने वाले समस्त प्रमुख नियोजकों के पंजीयन के लिए उपबंध करता है, और खण्ड (ख) २० या अधिक ठेका श्रमिकों को अपनी ठेकेदारी में नियोजित करने वाले समस्त ठेकदारों की अनुज्ञप्ति के लिए उपबंध करता है. इसलिए, इस अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन के लिए उक्त अधिनियम की धारा-१ के अधीन २० ठेका श्रमिकों से ५० ठेका श्रमिकों की सीमा बढ़ाने के लिए समुचित उपबंधों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है. परिणामस्वरूप जहां ५० से कम ठेका श्रमिकों को नियोजित करने वाले छोटे ठेकेदारों एवं प्रमुख नियोजकों को अनावश्यक रूप से ठेका श्रम अधिनियम की प्रक्रियाओं एवं उपबंधों का पालन करना अपेक्षित नहीं होगा, साथ ही प्रमुख नियोजक अपनी स्थापनाओं में श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

३. श्रम सुधारों के उपबधों के अधीन अपेक्षित है कि कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) की प्रयोज्यता, शक्ति से संचालित विनिर्माण परिसर में नियोजित १० श्रमिकों की वर्तमान सीमा तथा गैर शक्ति से संचालित विनिर्माण परिसरों में नियोजित २० श्रमिकों की वर्तमान सीमा क्रमशः २० श्रमिक एवं ४० श्रमिकों तक बढ़ाई जाए. वर्तमान में अधिनियम की धारा २ के खण्ड (ड) के उप-खण्ड (एक) के उपबंधों के अधीन १० या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले शक्ति से संचालित कारखाने के अधिभोगी को पंजीयन प्राप्त करना होगा तथा उप-खण्ड (दो) के अधीन यदि २० या अधिक श्रमिक शक्ति की सहायता के बिना चल रहे कारखाने में नियोजित हैं तो संबंधित अधिभोगी को पंजीयन प्राप्त करना होगा.

४. कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ८५ के उपबंध के अधीन विनिर्माण प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए किसी परिसर में अधिनियम के उपबंध को अमल में लाने के लिए, राज्य सरकार को सशक्त बनाया गया है, भले ही नियोजन ऊपर उल्लिखित सीमाओं से कम हो अर्थात् ० से ९ श्रमिक हों. अतः इस धारा को भी संशोधित किया जाना है और नियोजन की सीमा शक्ति की सहायता से संचालित स्थापना में ० से १९ श्रमिकों तक और शक्ति की सहायता के बिना संचालित स्थापना में ० से ३९ श्रमिकों तक बढ़ाई जाना है. यह अपेक्षित है कि धारा २ के अधीन उन परिसरों में, जहां विनिर्माण शक्ति की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है, वहां उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिए अपेक्षित श्रमिकों की संख्या की सीमा १० से २० तक बढ़ाई जाए और परिसरों में, जहां विनिर्माण शक्ति की सहायता के बिना कार्यान्वित किया जाता है, वहां उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिए अपेक्षित श्रमिकों की संख्या की सीमा २० से ४० तक बढ़ाई जाए. परिणामस्वरूप, १० से २० तक श्रमिक नियोजित करने वाली छोटी विनिर्माण इकाइयों को अनावश्यक रूप से उक्त अधिनियम की प्रक्रियाओं एवं उपबंधों के पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी. ऊपर यथा उल्लिखित धारा २ में संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए, आवश्यक है कि छोटी एवं बहुत छोटी स्थापनाओं में, जहां परिसंकटमय प्रकृति का विनिर्माण कार्य होता है, वे उक्त अधिनियम की परिधि से बाहर न हो जाएं. अतः, धारा ८५ में ऊपर उल्लिखित प्रस्तावित संशोधन को अधिनियमित किया जाना भी अपेक्षित है.

५. यह भी अपेक्षित है कि समस्त औद्योगिक स्थापनाओं तथा उपक्रमों में किसी हड़ताल या तालाबंदी से पूर्व सूचना का उपबंध पुरःस्थापित करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) में कतिपय संशोधन किए जाएं. वर्तमान में धारा २२ में श्रमिकों द्वारा किसी हड़ताल पर जाने और नियोजकों द्वारा तालाबंदी से पूर्व सूचना-पत्र दिया जाना केवल लोक उपयोगी सेवाओं में ही अनिवार्य है. अतएव, समुचित स्थान पर विद्यमान शब्द "लोक उपयोगी सेवाओं में" के अतिरिक्त, शब्द "औद्योगिक स्थापना" जोड़कर समस्त औद्योगिक स्थापनाओं में किसी हड़ताल या तालाबंदी से पूर्व सूचना-पत्र दिए जाने का उपबंध पुरःस्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा २२ के समुचित उपबंधों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित उपबंध प्रबंधकों और श्रमिकों को ऐसी हड़तालों और तालाबंदी से संबंधित मुददों और विवादों के हल के लिए, उचित कदम उठाने हेतु पर्याप्त समय के साथ औद्योगिक संबंध संधारण तंत्र के लिए उपबंध करेगा और समस्त औद्योगिक स्थापनाओं में औद्योगिक शांति और समन्वय बनाए रखने में भी सक्षम होंगे. इसका परिणाम यह होगा कि क्षेत्र में निवेश के लिए बेहतर वातावरण निर्मित होगा तथा अधिक रोजगार अवसर भी सृजित होंगे.

६. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ३० जून, २०२५.

प्रहलाद पटेल

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक २०२५ के जिन खण्डों में विधायनी शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्थापनाएं हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

खण्ड ९ द्वारा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से नियम बनाने, तथा

खण्ड १० द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में उद्भूत कठिनाइयों को दूर करने संबंधी उपबंध राजपत्र में प्रकाशित साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा अधिसूचित किये जाने,

के संबंध में विधायनी शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जो सामान्य स्वरूप की होंगी.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) से उद्धरण

धारा १ (४) यह-

(क) ऐसे प्रत्येक संस्थान पर लागू होता है, जिसमें बीस या इससे अधिक कर्मचारी ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पिछले बारह महिनों में किसी भी दिन नियोजित थे;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार पर लागू होता है, जो पिछले बारह महिनों में किसी भी दिन बीस या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित किया था या नियोजित करता है :

परंतु समुचित सरकार ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी भी संस्थान या ठेकेदार पर लागू कर सकेगी, जो बीस से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है, जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं.

*   *   *   *   *

कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) से उद्धरण

*   *   *   *   *

धारा २ (४) यह-   *   *   *

(ङ) ''कारखाना'' से अभिप्रेत है अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जिसमें-

(एक) दस या अधिक का कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है या आमतौर से इस तरह की जाती है; या

(दो) बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है या आमतौर से ऐसे की जाती है, किन्तु कोई खान जो [खान अधिनियम, १९५२ (१९५२ कां ३५)] के प्रवर्तन के अध्यधीन है, या (संघ के सशस्त्र बल की चलती-फिरती यूनिट, रेल्वे रनिंग शेड या होटल, उपाहारगृह या भोजनालय इसके अंतर्गत नहीं है.)

*   *   *   *   *

धारा ८५ अधिनियम को कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति-(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध किसी ऐसे स्थान पर, जिसमें कोई विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से या उसके बिना चलाई जाती है या मामूली तौर से ऐसे चलाई जाती है, इस बात के होने पर लागू होंगे कि-

(एक) वहां नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यदि वे शक्ति की सहायता से काम कर रहे हैं तो दस से कम है और यदि वे शक्ति की सहायता के बिना काम कर रहे हैं तो बीस से कम हैं और

*   *   *   *   *

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) से उद्धरण

*　　　*　　　*　　　*　　　*

धारा २२ (१)　लोक उपयोगी सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति—

(क) हड़ताल करने से पूर्व के छह सप्ताह के भीतर हड़ताल की सूचना नियोजक को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रूप में बिना, अथवा

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर, अथवा

(ग) किसी भी यथापूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट हड़ताल की तारीख के अवसान से पूर्व, अथवा

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों के समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान, संविदा-भंगकारी हड़ताल न करेगा.

२. किसी लोक उपयोगी सेवा को चलाने वाला कोई भी नियोजक—

(क) तालाबंदी करने के पूर्व के छह सप्ताह के भीतर तालाबंदी की सूचना संबंद्ध कर्मकार को इसके पश्चात् उपबंधित रूप में दिए गए बिना, अथवा,

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर, अथवा

(ग) किसी भी यथापूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट तालाबंदी की तारीख के अवसान से पूर्व, अथवा

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं सुलह कार्यवाहियों के, लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान, अपने किन्हीं भी कर्मकारों के प्रति तालाबंदी नहीं करेगा.

*　　　*　　　*　　　*　　　*

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.